न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— गंगाधर मीणा (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
318/2016	25.10.2016	21.4.22

उनवान

1. अभिषेक
2. दीपक कुमार पुत्रान ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी डुम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
3. बबीता पुत्री ओमप्रकाश पत्नि मनीष जाति अहीर निवासी हाजीपुर, हमीरपुर सीताराम की ढाणी, तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
4. अंजू पुत्री ओमप्रकाश पत्नि नवलसिंह जाति अहीर निवासी डुम्हेडा तहसील कोटकासिम हाल निवासी माजरा हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी डुम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मामनचन्द जाति अहीर निवासी कमालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
3. तहसीलदार लैण्ड हौल्डर, कोटकासिम जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादीगण

वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती मय तकासमावो बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक :— 21.4.22

उपस्थिति :—
1— श्री नरहरि व्यास, वकील वादी
2—प्रतिवादी अनुपस्थित।

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :—

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 452 रकबा 06 बिस्वा, 622 रकबा 11 बिस्वा, 626 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, 634 रकबा 01 बीघा, 639 बीघा, 639 रकबा 10 बिस्वा, 642 रकबा 05 बिस्वा, 645 रकबा 04 बिस्वा, 649 रकबा 13 बिस्वा, 663 रकबा 10 बिस्वा, 664 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 5 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 731 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, 732 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम डमहेडा तहसील कोटाकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित कहलावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

कि मुतदाविया आराजी पैत्रिक दादालाई की आराजी है जो आराजी [illegible] के समय जब अविभाजित थी, संयुक्त परिवार ही सम्पति रही। वादीगण के दादा उमराव आराजी मुतदाविया के खातेदार थे उमराव की फौतगी के बाद उमराव के जायज व विधिक वारियान के नाम विरासत नामान्तकरण में तथा बाद नामान्तकरण विरासत दर्ज वो मंजूर होने के पश्चात विरासत में प्राप्त कर्ता परिवार के सदस्यो ने विधिवत विभाजन किया व विभाजन नामान्तकरण दर्ज वो मन्जूर हुआ जिसमें विवादित आराजी विरासत में विभाजन में प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम आई जबकी दादालाई की भूमि में बाई बर्थ वादीगण का हक हिस्सा व हित निहित है।

3. यह है कि आराजी मुतदाविया दर्ज दावा तन्हा प्रतिवादी की आराजी नही है। बल्कि विरासत में मृतक उमरावलाल से हम वादीगण को भी प्राप्त हुई है क्योंकि मृतक उमरावलाल वादीगण का दादा जो अब फोत हो चुका है से विरासत में आई है उक्त आराजी में वादीगण संख्या 01 लगायत 4 व प्रतिवादी नम्बर 1 ओमप्रकाश बराबर बराबर आराजी मुतदाविया में कानूनन अधिकार रखते है चूंकि मृतक उमरावलाल का नामान्तकरण उसके दीगर लड़को के साथ साथ प्रतिवादी ओमप्रकाश ने वारिस के रूप में दर्ज करा लिया जबकी वादीगण के नाम भी नामान्तकरण दर्ज व मंजूर होना था महज उक्त त्रुटि के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण को हक हिस्सा देने में आना कानी करने लगा तथा परिवार हित के विरूद्ध व सह खातेदार वादीगण की सहमति के बिना आराजी मुतदाविया को विक्रय करने पर अमादा हो गया तथा खसरा नम्बर 731, 732 को बिना वादीगण की सहमति के विक्रय भी प्रतिवादी नम्बर 2 को कर दिया जो भी वादीगण के अधिकारो के विपरीत है।

4. यह है कि आराजी मुतदाविया में वादीगण का बाई बर्थ ही 4/5 हिस्सा है वादीगण आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ शामलात में काबिज काश्त है तथा उपयोग उपभोग में ले रहे है लिहाजा वादीगण आराजी मुतदाविया दर्ज दावा पेरा संख्या 1 में 4/5 हिस्से के काबिज काश्त खातेदार घोषित होने योग्य है तथा इसी कदर वादीगण 4/5 हिस्से के खातेदार जमाबन्दीयात किये जावे।

5. यह है कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने बिना वादीगण की सहमति के बिना परिवार के हित के आराजी खसरा नम्बर 731 रकबा 3–05 बिस्वा, 732 रकबा 0–04 बिस्वा ग्राम डुम्हेडा को प्रतिवादी नम्बर 2 को जर्ये रजिस्टर्ड सैलडीड दिनांक 04.01.13 को विक्रय कर दिया जो विक्रयपत्र वादीगण के 4/5 हिस्से तक बातिल वो बेअसर है नाकाबिल पाबन्दी है एवं प्रभावहीन व शून्य है।

6. यह है कि आराजी मुतदाविया पैत्रिक विरासत में प्राप्त शामलाती भूमि है जो वादीगण व प्रतिवादीगण के दरम्यान आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजित नही हुई है शामलात में ही कब्जा काश्त चला आ रहा है चुकि प्रति0 नम्बर 1 अपनी आदतो से बाज नही आता है और वो नशे का आदि है जो वादीगण की बिना सहमति व परिवार के हितो के विपरित जाकर आराजी मुतदाविया को दीगर सख्यो को विक्रय करने पर अमादा है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 आराजी मुतदाविया को विभाजित करने से इंकार करता है लिहाजा मुतदाविया भूमि को तकसीम किया जाकर वादीगण को 4/5 भाग हिस्सा अलहेदा से कायम किया जावे। तथा बाद तकसीम आराजी मुतदाविया वादीगण के 4/5 हिस्से का खाता अलग कायम कर अलग से कुर्रे कायम किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर)

... कि प्रतिवादी नम्बर 01 एवं प्रतिवादी नम्बर 02 का जो खातेदारी का अंकन राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयात में हो रहा है वो कतेई खिलाफ मौका वो खिलाफ कानूनन है चुकि वादीगण आराजी मुतदाविया के 4/5 हिस्से के काबिज काश्त खातेदार है लिहाजा इन्द्राज जमाबन्दीयात दुरूस्त किया जाकर 4/5 हिस्से की हद तक प्रतिवादीगण के नाम का अंकन कलमजन कर हटाया जावे, हजफ किया जावे तथा इसके स्थान पर आराजी मुतदाविया के 4/5 हिस्से का खातेदार के रूप में वादीगण के नाम का अंकन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को 1/5 हिस्से तक की खातेदार दर्ज रिकोर्ड का अंकन किया जावे।

8. यह है कि प्रतिवादी नम्बर 3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम चूंकि मौजूदा वाद में इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती के साथ तकासमा का अनुतोष भी चाहा गया है जिसके लिए लैण्ड होल्डर आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार है जिस रफाये उजात फरीक मुकदमा बनाया गया है।

9. यह है कि प्रति0 नम्बर 01 ओमप्रकाश पिता वादीगण आये रोज वादीगण को हिस्सा देने से व शामलात में कब्जा काश्त काने में रूकावट पैदा करता है तथा बिना भूमि को तकसीम कराये बिना इन्द्राज दुरूस्त कराये बिना वादीगण की सहमति के व परिवार के हित के विपरित जाकर आराजी मुतदाविया को बिला जेर बदल बिला प्रतिफल के मुन्तकिल करने पर अमादा है तथा दो नम्बरो का तो बिना वादीगण को हक हिस्सा दिये फोरी तौर पर मुन्तकिल कर चुका है जिससे वादीगण को ओर भी पूर्ण सम्भावना हो गई है कि प्रतिवादी नम्बर 01 वादीगण के हितो के विपरित जाकर कुठाराघात कर सकता है हम वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 से मुतदाविया आराजी के रिकोर्ड को दुरूस्त कराने व वादीगण को खातेदार दर्ज कराने व मुतदाविया भूमि का विभाजन कराने तथा जो दो नम्बर विक्रय किये है उनमें हिस्सा दिलवाने को कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1, 2 ने हम वादीगण को ऐलानिया तौर पर दिनांक 18.10.16 को धमकी दी कि वो वादीगण कोई हक हिस्सा नही देगे, ना इन्द्राज करायेगे, तथा शामलात में काश्त नही करने देने और आराजी को मुन्तकिल करेगे जबकी आराजी मुतदाविया में वादीगण के अधिकार कानूनन रक्षित है पैत्रिक सम्पति होने के कारण वादीगण का मुतदाविया आराजी में 4/5 हिस्सा है तथा प्रति0 नम्बर 1 का मात्र 1/5 हिस्सा है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद हानि होगी जिसकी कीमत रूपयो में आंका जाना संभव नही है लिहाजा प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी इस अमर से पाबन्द किया जावे कि जब तक आराजी मुतदाविया विभाजित नही हो जावे तब तक आराजी मुतदाविया से वादीगण को बेदखल ना करे, ना कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना आराजी मुतदाविया को रहन, बैय, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तकिल करे, ना किसी वितिय संख्या से ऋण हासिल करे, मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

10 यह है कि बिनायदावी वो बिनायमुखासमत दिनांक 18.10.16 को पैदा हुई जिस दिन प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वादीगण को बतौर खातेदार राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के 4/5 हिस्से की हद तक खातेदार दर्ज कराने से इन्कार किया व वादीगण के हिस्से तक बयनामा को बातिल वो बेअसर करार दिलवाने से मना किया व आराजी को तकसीम ना करने व वादीगण को

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

शामलात में काश्त ना करने व मुन्ताकिल करने ...
जिससे दावा हाजा साधारणतया अन्दर म्यिाद पेश है।

वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :-

अ-डिक्री इजाय इश्तकरारहक इसके कि आराजी हाल खसरा संख्या 452 रकबा 06 बिस्वा, 622 रकबा 11 बिस्वा, 626 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 634 रकबा 01 बीघा, 639 रकबा 10 बिस्वा, 642 रकबा 05 बिस्वा, 645 रकबा 04 बिस्वा, 649 रकबा 13 बिस्वा, 663 रकबा 10 बिस्वा, 664 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 731 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, 732 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम डुम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर के 4/5 हिस्से का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे।

ब-डिक्री इजाय इन्द्राज दुरूस्त इस अमर की पारित की जावे कि आराजी मुतदाविया दावे के पेरा संख्या 1 में दर्ज आराजी का राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयात दुरूस्त किया जाकर जो प्रतिवादीगण के नाम का तन्हा खातेदार का अमल हो रहा है को कलमजन कर हटाया जावे, हजफ किया जावे तथा उसके स्थान पर वादीगण के 4/5 हिस्से का वादीगण के नाम का अंकन दर्ज जमाबन्दीयात राजस्व रिकोर्ड किया जावे।

स- डिक्री तकासमा इस अमर की पारित की जावे कि अर्जी दावे का पेरा संख्या 1 में दर्ज आराजी के 4/5 हिस्सा तकसीम किया जाकर वादीगण को 4/5 हिस्से का अलग से दखल दिलवाया जावे।

द- डिक्री इजाय इन्द्राज दुरूस्त इस अमर की पारित की जावे कि आराजी मुतदाविया दावे के पेरा संख्या 1 में दर्ज आराजी का राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयात दुरूस्त किया जाकर जो प्रतिवादीगण के नाम का तन्हा खातेदार का अमल हो रहा है को कलमजन कर हटाया जावे, हजफ किया जावे तथा उसके स्थान पर वादीगण के 4/5 हिस्से का वादीगण के नाम का अंकन दर्ज जमाबन्दीयात राजस्व रिकोर्ड किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे, जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में आई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श-1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2072-76, प्रदर्श-2 नकल नक्शा ट्रेस, प्रदर्श-3 जमाबन्दी पेश किये। जो शामिल मिसल है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी में उक्तानुसार वादीगणो को कब्जाकस्त खातेदार घोषित कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया गया साथ ही विवादित आराजी का तकासमा का अनुतोष नही चाहने के बाबत का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर विवादित आराजी मे से आराजी खसरा नम्बर 731 व 732 प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा विक्रय कर दी गई थी। शेष विवादित आराजी दादालाई आराजी होने के कारण वादीगण के वाद का यह न्यायालय आंशिक स्वीकार योग्य पाता है।

—:: निर्णय ::—

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खसरा संख्या 452 रकबा 06 बिस्वा, 622 रकबा 11 बिस्वा, 626 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 634 रकबा 01 बीघा, 639 रकबा 10 बिस्वा, 642 रकबा 05 बिस्वा, 645 रकबा 04 बिस्वा, 649 रकबा 13 बिस्वा, 663 रकबा 10 बिस्वा, 664 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम डुम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर के 4/5 हिस्से का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तनुसार प्रतिवादीगण के नाम जो गलत अंकन राजस्व रिकोर्ड में हो रहा है उसे कलमजन कर वादीगण के नाम का 4/5 हिस्से का हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.4.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गं[illegible])
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

...खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
318/2016	25.10.2016	21.4.22

उनवान

1. अभिषेक
2. दीपक कुमार पुत्रान ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी डुम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
3. बबीता पुत्री ओमप्रकाश पत्नि मनीष जाति अहीर निवासी हाजीपुर, हमीरपुर सीताराम की ढाणी, तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
4. अंजू पुत्री ओमप्रकाश पत्नि नवलसिंह जाति अहीर निवासी डुम्हेडा तहसील कोटकासिम हाल निवासी माजरा हरसौरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–: वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी डुम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मामनचन्द जाति अहीर निवासी कमालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
3. तहसीलदार लैण्ड हौल्डर, कोटकासिम जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादीगण

वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती मय तकासमावो बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री नरहरि व्यास एडवोकट** की उपस्थिति एवं **प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति** में इस वाद में **आज दिनांक** 21.4.22 को **श्री गंगाधर मीणा, उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और पर्चा डिक्री दी जाती है:–**

आराजी हाल खसरा संख्या 452 रकबा 06 बिस्वा, 622 रकबा 11 बिस्वा, 626 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 634 रकबा 01 बीघा, 639 रकबा 10 बिस्वा, 642 रकबा 05 बिस्वा, 645 रकबा 04 बिस्वा, 649 रकबा 13 बिस्वा, 663 रकबा 10 बिस्वा, 664 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम डुम्हेडा तहसील कोटकासिम जिला अलवर के 4/5 हिस्से का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है एवं उपरोक्तनुसार प्रतिवादीगण के नाम जो गलत अंकन राजस्व रिकोर्ड में हो रहा है उसे कलमजन कर वादीगण के नाम का 4/5 हिस्से का हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह प्राथमिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.4.22 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम, अलवर, राज0